2025/489

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

राकेश कुमार .... बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

.... मु.नं. 355 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा .... 136 LR

दिनांक	आज्ञा - पत्र
09/09/25	प्रार्थीगण राकेश कुमार पुत्र मगन लाल, निर्मला कुमारी शर्मा पत्नी राकेश कुमार समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 820 व 141 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां राकेश कुमार शर्मा पुत्र मगन लाल, निर्मला देवी पत्नी राकेश कुमार शर्मा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्ठियां क्रमशः राकेश कुमार पुत्र मगन लाल, निर्मला कुमारी शर्मा पत्नी राकेश कुमार है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां क्रमशः राकेश कुमार पुत्र मगन लाल, निर्मला कुमारी शर्मा पत्नी राकेश कुमार अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां राकेश कुमार शर्मा पुत्र मगन लाल, निर्मला देवी पत्नी राकेश कुमार शर्मा के स्थान पर उक्त प्रविष्ठियां क्रमशः राकेश कुमार पुत्र मगन लाल, निर्मला कुमारी शर्मा पत्नी राकेश कुमार दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/2632 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट्स मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सेवद बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 820 व 141 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां राकेश कुमार शर्मा पुत्र मगन लाल, निर्मला देवी पत्नी राकेश कुमार शर्मा के स्थान पर उक्त प्रविष्ठियां क्रमशः राकेश कुमार पुत्र मगन लाल, निर्मला कुमारी शर्मा पत्नी राकेश कुमार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/2632 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट अ[illegible] अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, [illegible]। आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra Date: 2025.09.17 17:23:47 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)